

समाहरणालय, कटिहार
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

- आदेश -

समुक्त/अपर राशिय, आपदा प्रबंधन विभाग, विहार पटना का पत्र संख्या-02/आ0प्र0 दिनांक 11.04.2017, 10/आ0प्र0 दिनांक 29.04.2017, 77/आ0प्र0 दिनांक 30.08.2017, 82/आ0प्र0 दिनांक 07.09.2017 एवं 142/आ0प्र0 दिनांक 19.02.2018 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण शहर, उपग्रह शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान भुगतान, विपन्न कोड- 39-2245021010003 विस्तृत शीर्ष- 37 अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष 01 अनुग्रह अनुदान, मांग संख्या 39 के अन्वयित मांग 16,00,000.00 + 20,00,000.00 + 88,00,000.00 + 72,00,000.00 + 1,16,00,000.00 कुल 3,12,00,000.00 (तीन करोड़ बारह लाख) रूपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन में से संबंधित अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला को उनके नाम के समाने अंकित राशि का उपावंटन करते हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।


निर्देश दिया जाता है कि इस उपावंटित राशि को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अग्रिमकांड से मरने वाले पशु के स्वामी को अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु दी जा रही है। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रभावित/पीड़ित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखेंगे तथा व्यय नहीं होने की स्थिति में दिनांक 31.03.2018 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

क्र०	संबंधित अंचल पदा०	मृतक का नाम एवं संख्या	मृत पशुओं की सं०/पशु स्वामी का नाम	विभाग से प्राप्त आवंटन	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि	अवशेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		05			20,00,000.00	-	20,00,000.00		
1	कटिहार		01/भगवान मंडल		-	30,000.00	30,000.00		
			03/दिलीप मंडल		-	62,000.00	62,000.00		
			02/आयुसा खातून		-	28,000.00	28,000.00		
2	हसनगंज	01	-		4,00,000.00	-	4,00,000.00		
3	डंडखोरा	07	-		28,00,000.00	-	28,00,000.00		
		02	-		8,00,000.00	-	8,00,000.00		
4	कोढा		01/खतर पंडित		-	30,000.00	30,000.00		
5	प्राणपुर	4	-		16,00,000.00	-	16,00,000.00		
6	मनसाही	3	-		12,00,000.00	-	12,00,000.00		
		08	-		32,00,000.00	-	32,00,000.00		
7	बारसोई		हजीरा खातून		-	4,00,000.00	4,00,000.00		
8	बरारी		02/जागेश्वर राम		-	50,000.00	50,000.00		
9	बलरामपुर	5	-		20,00,000.00	-	20,00,000.00		
10	आजमनगर	15	-		60,00,000.00	-	60,00,000.00		
11	कदवा	20	-		80,00,000.00	-	80,00,000.00		
12	मनिहारी	2	-		8,00,000.00	-	8,00,000.00		
13	अमदाबाद	4	-		16,00,000.00	-	16,00,000.00		
कुल योग-					3,12,00,000.00	3,04,00,000.00	6,00,000.00	3,10,00,000.00	2,00,000.00


जिला पदाधिकारी,
कटिहार।


ज्ञापक 555/आप्र० II-I & IV-01/2017-18, दिनांक 26/3/18

प्रतिलिपि :- अंचल पदाधिकारी, कटिहार, कोडा एवं बरारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदा०, कटिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-कोपागार पदाधिकारी, कटिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


26/3/18
जिला पदाधिकारी,
कटिहार।